न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला—टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्याः— 43/2014 निर्णय दिनांक :— 14.11.2022

उनवानी दावा :

1. चन्दा पुत्र सूजा जाति मीणा निवासी मानुपरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

—वादीगण—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2. तहसीलदारजी देवली जिला—टोंक (राज.)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री अशोक कुमार गुप्ता — अधिवक्ता वादी
पेरोकार सरकार

वाद बाबत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादी को साबिक ख0न0 389/1/1 मे 3 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.5.89 को नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकर आवंटित की गई थी और हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर वादी को कब्जा सम्भलाया गया था। कब्जा सम्भलाने के बाद से आज तक वादी का मौके पर कब्जा है। हाल ही मे देवली तहसील मे सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान उक्त भूमि के नये नम्बर 562 रकबा 12.96 है0 बना दिये गये थी जबकि उक्त रकबे मे से 0.75 है0 भूमि वादी की खातेदारो में लगानी चाहिए थी लेकिन बिना किसी सक्षम न्यायालय व अधिकारी के आदेश के उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे सिवायचक दर्ज करवा दिया गया है सेटलमेन्ट के दौरान मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाया गया है। आज भी वादी को आवंटन के बाद जहा पर कब्जा सम्भलाया था वही पर वादी का कब्जा है और वादी ने इस वर्ष भी फसल काश्त की थी जिसको काट ली है। वही पर आज भी वादी का कब्जा है और वादी ने इस वर्ष भो फसल काश्त की जिसको काटनी है। वादी को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश पर भूमिहीन होने के कारण आवंटन कमेटी द्वारा नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाकार आवंटन किया गया है । उक्त आवंटन किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा

Scanned with CamScanner

खारिज नहीं किया गया है आज भी उक्त आवंटन आदेश अस्तित्व में है । वादी गरीब काश्तकार पेशा व्यक्ति है उक्त भूमि को काश्त कर अपना एवं अपने परिवार का भरण पोषण करता है इस कारण वादी को हाल खसरा नम्बर 562 रब्बा 12.96 है0 में से 0.75 है0 वाके ग्राम मानपुरा तहसील देवली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड मे दुरुस्ती की जावे । वादी का आवंटन के पश्चात से लगातार आज तक कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण वादी को उक्त भूमि से वेदखल कर अन्य दीगर व्यक्ति को आवंटन करना चाहते है इसलिये उन्हें जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाये कि वह स्वय या ऐजेन्ट, नोकर चाकर के वादी को उक्त भूमि से वेदखल नहीं करे व उक्त भूमि अन्य किसी को आवंटन नही करे। उक्त वाद में राज्य सरकार व उसके प्रतिनिधि को पक्षकार बनाया गया । कानूनी रूप से राज्य सरकार के विरुद्ध दावा करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का नोटिस देना है लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण यह वाद विना नोटिस दिये पेश है धारा 80 सीपीसी को प्रा. पत्र अलग से पेश है। विनाय दावा आज से 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी ने वादी को उक्त भूमि से वेदखल करने को कोशिश की धमकी दी कि उक्त भूमि अन्य किसी व्यक्ति/संस्था को आवंटित करवा देगा जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः—बाद पत्र का चरण सं. 1 आंशिक रूप से स्वीकार है। क्योकि पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 22.5.89 को ग्राम मानपुरा के ख.नं. 389/1 में 3 बीघा भूमि वादी को आवंटन होना साबित है परंन्तु कब्जा सुपुर्दगी का कोई दस्तावेज अर्थात सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे वादी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि का मोके पर कब्जा दिया जाना प्रकट नही है। वाद पत्र का चरण सं. 2 स्वीकार नही है क्योकि पत्र में उपलब्ध नकल मिलान क्षेत्रफल ख. नं. 389 मी. का नवीन नं. 563 रचना 1.77 है0 दर्ज होने से वर्तमान ख. नं. 562 के सम्बन्ध में वादी का बाद मुताबिक रिकार्ड सही नहीं है। ख. नं. 562 का पुराना नं. 389 रकबा 3 बीघा के सम्बन्ध में वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। वाद का चरण सं. 3 आंशिक रूप से स्वीकार है क्योकि

Scanned with CamScanner

वादी को किये गये आवंटन का प्रथम बार भी कब्जा सुपुर्दगी के अभाव में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही किया गया है। । वादपत्र का का चरण सं. 4 पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का चरण सं. 5 नवीन ख. न. 562 के सम्बन्ध में स्वीकार है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज नकल खसरा परिवर्तनशील से वादी का नाजायज कब्जा चला आ रहा है, साबित है। वादपत्र का चरण सं. 6. का जवाब अपेक्षित नही है। वाद पत्र का चरण नं. 7 नियम विरूद्ध होने से स्वीकार नही है। वादपत्र एक का चरण सं. 8 व 9 न्यायालय के स्तर का होने से जवाब अपेक्षित नही है। विशेष यह कि वादी को ग्राम मानपुरा के साबिक ख. नं. 389/1/1 रकबा 3 बीघा दिनांक 22.5.89 को आवंटन होना प्रकट है परन्तु तत्पश्चात कब्जा सुपुर्दगी एंव जरिये नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही नही होने से भूमि सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड रही जो सही है। अतः जवाब दावा न्यायालय में सादर प्रेषित है।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर उभयपक्ष को सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं वादी चन्दा पुत्र सुजा जाति मीणा निवासी मानुपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 को पेश किया। अपने साक्ष्य शपथ पत्र में वादी ने वाद के तथ्यो का ही दोहरान किया और प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार है:– प्रदर्श–1 भू–आवंटन सलाहकार समिति का पट्टा प्रदर्श–2 हाल जमाबन्दी प्रदर्श–3 मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2056–59 प्रदर्श–5 व 6 हाल नक्शा ट्रेस, कब्जेकाश्त बाबत पी–14 की नकल सम्वत 2052 लगायत 55 सम्वत 2057 लगायत 2068 तक व संवत 2072 की पेश की है जो प्रदर्श–पी–8 से पी. 34 है।

वादीगण ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 मूलचन्द पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र 65 वर्ष निवासी मानपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 व पी. डब्ल्यू–3 चन्दा पुत्र हरनाथ जाति मीणा उम्र 60 वर्ष निवासी मानुपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0 का पेश किया। साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 व 3 ने वाद व वादी का समर्थन किया।

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई।

पेरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर करने से प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की गई।

Scanned with CamScanner

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद मिमो को दोहराते हुए कथन किया कि वादी को साबिक ख. नं. 389/1/1 में 3 बीघा भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया गया। उक्त साबिक ख. नं. से हाल ख. नं. 562 रकबा 0.75 है0 बनाये गये। मिलान क्षैत्रफल भी सेटलमेंन्ट अधिकारीयों द्वारा गलत बनाया गया है। वादी का कब्जाकाश्त व आवंटन रकबा सीट मिलान करने पर मेच होता है, परन्तु आवंटन के बाद से अब तक भी वादीगण को खातेदारी नहीं दी गई है जबकि कब्जा लगातार वादी का चला आ रहा है इसके लिए पत्रावली पर पी—14 की प्रमाणित नकले भी लगी हुई है। कब्जे व दस्तावेज द्वारा वादी ने वाद को साबित किया है। अतः वाद वादीपक्ष डिक्री किया जावे।

तनकीवार निर्णय

1. आया वादी विवादित आराजी खसरा नं0 562 रकबा 12.96 है0 वाके ग्राम मानपुरा तह0 देवली स्थित आराजी में से रकबा 0.75 है0 भूमि अपने नाम खातेदारी घोषित करवा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती के हकदार है ?

—वादी—

तनकी नं. 1 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रदर्श—1 भूमि आवंटन सलाहकार समिति ग्राम बीजवाड़ दिनांक 22.05.89 के अनुसार वादी को 389/1/1 में रकबा 3 बीघा भूमि का आवंटन दर्शित है। प्रदर्श—3 भू—प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046—65 के अनुसार साबिक ख. नं. 389 मिन से हाल ख. नं. 563 बनना दर्शित है जबकि वादी अनुसार वादी का कब्जाकाश्त हाल ख. नं. 562 पर है और वादी ख. नं. 562 पर खातेदारी चाहता है। खसरा परिवर्तित निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त पी. —14 सम्वत 2052 के अनुसार वादी का कब्जा ख. नं. 587 रकबा 0.30 है0 चरागाह, पी.—14 सम्वत 2054 के अनुसार वादी का कब्जा ख. नं. 586 रकबा 0.75 है0 पर , पी.—14 सम्वत 2055 के अनुसार वादी का कब्जा ख. नं. 562 रकबा 0.65 है0 पर, पी.—14 सम्वत 2057 के अनुसार ख. नं. 562 रकबा 0.30 है0 में मिश्रीलाल व चन्दा का कब्जा है, पी.—14 सम्वत, 2058, 2059 मे मिश्रीलाल व चन्दा का कब्जा है। पी. 14 सम्वत 2072 में वादी का कब्जा 562/5 पर, पी. 14 सम्वत 2063 में वादी का कब्जा 586 पर, पी.—14 सम्वत 2064 मे चन्दा का कब्जा 562 व 586 पर, पी. 14 सम्वत 2065, 66, में वादी का कब्जा 562 पर पी. 14 सम्वत 2067 में ख. नं. 562 पर में हीरा पुत्र नाथू का कब्जा है। सम्वत 2068 व 2072 में

Scanned with CamScanner

चन्दा का कब्जा दर्शित है। उक्त पी.–14 की प्रमाणित नकलो से स्पष्ट है कि वादी का कब्जाकाश्त लगातार ख. नं. 562 रकबा 0.75 है0 पर लगातार नहीं रहा है। वादी द्वारा पेश साबिक नक्शा सीट व हाल नक्शा ट्रेस से भी वादी के कब्जेकाश्त का मिलान नही हुआ है। जमाबन्दी सम्वत 2072–75 प्रदर्श–2 ख. नं. 562 रकबा 12.96 है0 सिवायचक काबिज काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। आवंटन के नियमो अनुसार आवंटन के बाद सुपुर्दगीनामा दिया जाता है उसके बाद पास बुक बनती है जो कि पत्रावली पर संलग्न नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो में मिलान क्षेत्रफल से साबिक ख. नं. व हाल ख. नं. का मिलान नहीं होने, विवादित आराजी भूमि पर पूर्ण रूपेण लगातार वादी का कब्जाकाश्त नहीं होने, सुपुर्दगीनामा व पासबुक के अभाव में यह तनकी विरूद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

2. आया वादी उक्त रकबा 0.75 है0 वाकै मानपुरा तह0 देवली पर निर्बाध कदीमी कब्जा काश्त चले आ रहे हैं? –वादी–

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं1 के निर्णयानुसार वादी द्वारा यह साबित नहीं किया गया है कि विवादित भूमि पर वादी का निर्बाध रूप से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अतः इस तनकी का निर्णय भी विरूद्ध वादीपक्ष किया जाता है।

3. आया वादी प्रतिपक्ष का बाधा न करने व अन्य दीगर को यह आराजी आवंटित नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के हकदार है – वादी–

इस तनकी को साबित करने का भार भी वादी पर था। तनकी नं. 1 व 2 के निर्णय अनुसार वादी द्वारा वाद को साबित नहीं किया है ओर वर्तमान में विवादित आराजी राजकीय भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अतः वादी प्रतिपक्ष को पाबन्द करवाने का अधिकार नहीं रखता है। इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादी के पक्ष में किया जाता है।

4. आया प्रति प्रस्तुत जवाब दावा न्यायोचित है और वाद खारिज करवाने के हकदार है ?– –प्रति० पेरोकार सरकार –

तनकी नं 4 को साबित करने का भार पेरोकार सरकार पर था। तनकी नं. 1 व 2 के निर्णय अनुसार पेरोकार सरकार का जवाब दावा इस तनकी पर बखबू चस्पा होता है। अतः इस तनकी का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

Scanned with CamScanner